न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी– कमर चौधरी
आई0ए0एस0

प्रा0 पत्र सं0 97/2011 रा0रा0अ0

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जरिये परियोजना निदेशक, परियोजना कियान्वयन इकाई एन0एच011 पी0आई0यू0 जयपुर (राज0)

...प्रार्थी

बनाम

1. सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी, महवा जिला दौसा
2. दिलसुख पुत्र ठण्डीराम (फौत)
   2.1 मानसिंह पुत्र दिलसुखराम
   2.2 बदन सिंह पुत्र दिलसुखराम
   2.3 बच्चूसिंह पुत्र दिलसुखराम
   2.4 बन्नो पत्नि दिलसुखराम
   समस्त जाति जाटव निवासी अम्बेडकर कॉलोनी, महवा तहसील महवा जिला दौसा
   2.5 सुनीता पुत्री दिलसुखराम पत्नि गिर्राज जाति जाटव निवासी ग्राम बजनेटा तहसील टोडाभीम जिला करौली

..अप्रार्थीगण

मध्यस्थ प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 3 जी (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 विरुद्ध अवार्ड दिनांक 16.05.2011 द्वारा प्रार्थी संख्या 01सक्षम प्राधिकारी महवा

उपस्थित–1. श्री दीपक शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी पक्ष
2. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता
3. श्री अविनाश नागर, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2.1 की ओर से

निर्णय दिनांकः 11 .03.2022

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि सक्षम प्राधिकृत अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) महवा ने अवार्ड आदेश दिनांक 16.05.2011 के द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 की राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 हेतु अवाप्त की गई भूमि का बारानी भूमि के स्थान पर आवासीय भूमि की दर से अवार्ड पारित कर दिया। इसी अवार्ड आदेश से असंतुष्ट होकर यह प्रार्थी द्वारा यह प्रा0 पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रा0 पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से जॉच व टिप्पणी मंगवाई गई। अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी गई ।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में दलील दी है कि पोत परिवहन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय केन्द्र सरकार नई दिल्ली ने लोकहित को देखते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 के भरतपुर महवा खंड को चौडा करने के लिए भूमि अवाप्त करने हेतु भारत के राजपत्र में अधिसूचना दिनांक 23.06. 2009 को जारी की गई, जिसमें राजस्थान राज्य के भरतपुर महवा खण्ड के किमी. से 119.6 किमी. के खण्ड को चौडा करने हेतु उपखंड अधिकारी महवा को सक्षम प्राधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Cheudhary
Date: 2022.04.01 10:18:11 IST
Reason: SelfAttested

निरंतर...2 पर

नियुक्त किया गया। उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग को चौडा करने हेतु अवाप्त की जाने वाली भूमि की राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3 ए के तहत अधिसूचना दिनांक 23.6.2009 को जारी की गई, जिसे सक्षम प्राधिकारी ने स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों दैनिक नवज्योति में दिनांक 31.10.2009 को व दैनिक भास्कर में दिनांक 1.11.2009 को प्रकाशित करवाया। इन समाचार पत्रों में इस तथ्य का उल्लेख किया गया कि धारा 3 सी के तहत यदि कोई व्यक्ति अधिसूचना जारी करने की दिनांक से 21 दिवस के भीतर प्रस्तुत करता है तो प्राधिकृत अधिकारी धारा 3 सी की उपधारा 2 के तहत सुनवाई का अवसर देकर उस आपत्ति को स्वीकार या अस्वीकार करेगा। सक्षम अधिकारी द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 2 ए के तहत जारी अधिसूचना के परिप्रेक्ष्य में जो आपत्तियां सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत की गई थी उनका धारा 3 सी के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा निस्तारण किया गया। केन्द्र सरकार द्वारा जारी 3 ए की अधिसूचना में विवादित आ0ख0नं0 722 वाके ग्राम महवा की प्रकृति बारानी अंकित थी, के संबंध में अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा उक्त वादग्रस्त आराजी के संबंध में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। अधिसूचना 3 ए के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण के पश्चात सक्षम प्राधिकारी द्वारा 3 डी के अंतर्गत अवाप्त की जाने वाली भूमि की अधिसूचना जारी करने हेतु रिपोर्ट केन्द्र सरकार को भेजी गई, जिसके आधार पर सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा अधिनियम की धारा 3 डी के तहत भारत के राजपत्र में दिनांक 09.04.2010 को अधिूसचना जारी की गई। सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट जो कि राजस्व रिकार्ड पर आधारित थी, के आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा 3 डी की अधिसूचना जारी की गई। उक्त अधिसूचना में भी वादग्रस्त भूमि की किस्म बारानी अंकित थी। तत्पश्चात सक्षम प्राधिकारी द्वारा उक्त वादग्रस्त आराजी का आबादी भूमि की दर से अवार्ड आदेश पारित कर दिया। सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित अवार्ड आदेश स्वयं सक्षम प्राधिकारी के क्षेत्राधिकार से बाहर था। 3 डी अधिसूचना के बाद सक्षम प्राधिकारी को भूमि की किस्म के अनुसार ही निर्धारित दर के आधार पर ही मुआवजा राशि निर्धारित करने का अधिकार प्राप्त था, किन्तु सक्षम अधिकारी द्वारा क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर बारानी किस्म की भूमि का मुआवजा आबादी दर के आधार पर निर्धारित किया गया है, जिसको परिवर्तित करने का कोई अधिकार सक्षम प्राधिकारी को नहीं था। सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित अवार्ड आदेश राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के प्रावधानों के विरूद्ध है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 को गलत तरीके से फायदा पहुँचाने के उददेश्य से विधि विरूद्ध, प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध नोन स्पीकिंग अवार्ड पारित किया गया है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवार्ड आदेश दिनांक 16.05.2011 का वह भाग जिसमें अप्रार्थी संख्या 02 को बारानी किस्म की भूमि का आबादी दर से अवार्ड आदेश पारित किया गया है। केन्द्र सरकार द्वारा जारी 3 ए एवं 3 डी अधिसू[illegible] नंबर 722 रकबा 40 वर्गमीटर भूमि की किस्म बारानी अंकित है। आवासीय [illegible] प्रार्थी संख्या 02 के पक्ष में अवार्ड पारित करने से पूर्व सक्षम प्राधिक[illegible] राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को न तो कोई नोटिस दिया गया है और [illegible] सर दिया गया है, जो कि न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के पूर्णतया विपरीत [illegible] अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर सक्षम प्राधिकारी महवा द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 के पक्ष में पारित अवार्ड दिनांक 16.05.2011 का वह भाग जिसमें अप्रार्थी संख्या 02 के पक्ष में पारित अवार्ड

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2022.04.01 10:18:11 IST
Reason: SelfAttested

निरंतर...3 पर

आदेश को निरस्त फरमाया जावे एवं अवाप्तशुदा भूमि खसरा नंबर 722 वाके ग्राम महवा की अवाप्तशुदा भूमि 40 वर्गमीटर का मुआवजा भूमि की किस्म बारानी के अनुसार निर्धारित किया जाकर अप्रार्थी संख्या 02 को किये गये अधिक भुगतान को वापस प्रार्थी को दिलवाने के आदेश प्रदान करावें।

अप्रार्थी संख्या 1 उपखण्ड अधिकारी महवा द्वारा प्रेषित रिपोर्ट क्रमांकः 722 दिनांक 09.04.2018 के द्वारा अवगत करवाया है कि जयपुर आगरा एन एच 11 के चारलेनीकरण हेतु खसरा नं0 722 स्थित ग्राम महवा मे से 40 वर्गमीटर भूमि अवाप्त की गई थी। अवाप्ताधीन भूमि का मुआवजा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा प्रस्तुत आपत्ति के निस्तारण के उपरांत जारी किया गया था। अवाप्त भूमि की किस्म तत्समय राजस्व रिकार्ड में बारानी अंकित थी, लेकिन अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा प्रस्तुत आपत्ति एवं उसके साथ प्रस्तुत साक्ष्य भूमि रूपांतरण आदेश पेश किया जिसके आधार पर उक्त आपत्ति का निस्तारण किया जाकर एवं मौके की स्थिति के अनुसार सक्षम अधिकारी द्वारा मुआवजा निर्धारित किया गया है।

अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 2.1 की बहस में दलील दी है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 के फोरलेनीकरण हेतु ग्राम महवा स्थित भूमि खसरा नंबर 722 में से 40 वर्गमीटर भूमि अवाप्त की गई थी। खसरा नंबर 722 में से 685 वर्गमीटर भूमि का आबादी में संपरिवर्तन हुआ है जिसका नामान्तरण संख्या 270 दिनांक 23.09.2008 से भूमि की किस्म आबादी स्वीकार हो चुकी है। भूमि की किस्म बारानी से आबादी राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3 ए एवं 3 डी से पूर्व ही परिवर्तित हो चुकी थी। धारा 3 ए की अधिसूचना प्रकाशित होने पर भूमि की किस्म बारानी का पता चलने पर अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा सक्षम अधिकारी के कार्यालय में नियत समयावधि में आपत्ति एवं संपरिवर्तन आदेश आदि साक्ष्य एवं सबूत प्रस्तुत किये गये थे। सक्षम प्राधिकारी द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 की प्रस्तुत आपत्ति को विधिवत सुनवाई का अवसर दिया जाकर प्रार्थी की आपत्ति स्वीकार की गई। ग्राम महवा की अवाप्त भूमि खसरा नंबर 722 में से अवाप्तशुदा 40 वर्गमीटर भूमि का मुआवजा आवासीय/आबादी दर से निर्धारित किया जाकर विधिवत अवार्ड पारित किया गया। अप्रार्थी संख्या 02 के पक्ष में सक्षम प्राधिकारी द्वारा भूमि पूर्व से ही आबादी में संपरिवर्तन होने के कारण अवाप्तशुदा भूमि का आवासीय दर से मुआवजा सही निर्धारित किया गया है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

राजकीय अधिवक्ता की बहस में दलील है कि सक्षम प्राधिकारी महवा द्वारा ग्राम महवा स्थित भूमि खसरा नंबर 722 में से 40 वर्गमीटर भूमि अवाप्त की गई थी। अवाप्त भूमि राजस्व रिकार्ड में बारानी दर्ज थी। अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा खातेदारी भूमि खसरा नंबर 722 में से 685 वर्गमीटर भूमि आवासीय संपरिवर्तन करा ली थी। संपरिवर्तित भूमि का नामांतरण संख्या 270 दिनांक 23.9.2008 को ही स्वीकार होकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो चुका था। भूमि की प्रकृति 03 ए की अधिूसचना में बारानी अंकन होना महज सहवन से अंकित होना प्रतीत होता है। अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा 3 ए की अधिूसचना के प्रकाशन के पश्चात नियत समयावधि 21 दिवस के भीतर सक्षम प्राधिकारी के समक्ष आपत्ति प्रार्थना पत्र मय साक्ष्य एवं रूपांतरण आदेश की प्रति प्रस्तुत की गई। सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत आपत्ति का निस्तारण कर अप्रार्थी संख्या 02 की भूमि का रूपांतरण पूर्व से ही आवासीय होने से आवासीय दर से मुआवजा निर्धारित किया गया है। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) महवा की रिपोर्ट पत्रांक 722 दिनांक 9.4.2018 का भी अवलोकन

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer-Ul Zaman Choudhary
Date: 2022.04.01 10:18:11 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निरंतर...4 पर

किया गया। पत्रावली अवलोकन से ज्ञात होता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 के फोरलेनीकरण हेतु ग्राम महवा के आराजी खसरा नंबर 722 में से 40 वर्गमीटर भूमि अवाप्त की गई थी। 3 ए की अधिूसचना एवं 03 डी की अधिसूचना में भूमि की किस्म बारानी होना अंकित है। भूमि अवाप्ति अधिकारी महवा द्वारा दिनांक 16.5.2011 को परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जयपुर को प्रेषित पत्र से ज्ञात होता है कि खसरा नंबर 722 में से 685 वर्गमीटर भूमि का 3 ए की अधिसूचना जारी होने से पूर्व में ही आवासीय संपरिवर्तन हो चुका है जिसका नामांतरण संख्या 270 दिनांक 23.9.2008 को स्वीकार हो चुका है। 3 ए की अधिसूचना के अनुसार भूमि की किस्म बारानी होने पर अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा सक्षम अधिकारी को आपत्ति एवं रूपांतरण आदेश की प्रति प्रस्तुत करने पर सक्षम अधिकारी द्वारा आपत्ति का निस्तारण कर भूमि का मुआवजा आवासीय दर से निर्धारित किया गया है जो सही है। इस प्रकार हम भूमि अवाप्ति अधिकारी महवा द्वारा पारित प्रश्नगत अवार्ड को यथावत रखा जाना उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। सक्षम प्राधिकारी महवा द्वारा पारित अवार्ड दिनांक 16.5.2011 जो कि अप्रार्थी संख्या 02 के पक्ष में अवाप्त की गई भूमि का मुआवजा आवासीय दर से पारित किया गया है, को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(कमर चौधरी)
जिला कलक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 11 मार्च, 2022 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कमर चौधरी)
जिला कलक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर, दौसा

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2022.04.01 10:18:11 IST
Reason: SelfAttested